ई-1900939

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 01 अप्रैल, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बन्दी आशु उर्फ प्रवीण उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र के प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-11892/सामा-1(5)/109/बन्दी स्था0/2025, दिनांक 12-03-2025 में की गई संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध निम्न तालिका में उल्लिखित सिद्धदोष/विचाराधीन बन्दी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागार में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	कारागार का नाम, जहां स्थानांतरित किया जाना है
1	2	3	4
01	आशु उर्फ प्रवीण उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र (यू0टी0 संख्या-4232/20, सी0टी0 संख्या-25/23)	केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज	केन्द्रीय कारागार, इटावा

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3-अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
4-जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ/प्रयागराज/इटावा।
5-पुलिस आयुक्त, प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ मेरठ/इटावा।
6-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज/इटावा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत सिद्धदोष/विचाराधीन बन्दी को कॉलम-4 में उल्लिखित कारागार में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in